न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 17/2017 (उदयपुर आर्डर)

1. श्री मांगीलाल पित स्व. श्री तेजाजी डांगी निवासी भल्लों का गुड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री लालूराम पिता स्व. श्री तेजाजी डांगी निवासी भल्लों का गुड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
3. श्रीमती औकारी बाई पुत्री स्व. तेजाजी डांगी निवासी भल्लों का गुड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
4. श्रीमती मोहनीबाई पुत्री स्व. तेजाजी डांगी निवासी भल्लों का गुड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
5. श्रीमती गंगाबाई पुत्री स्व. तेजाजी डांगी निवासी भल्लों का गुड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
6. श्रीमती वरदीबाई पुत्री स्व. श्री तेजाजी डांगी निवासी भल्लों का गुड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)
7. श्रीमती हीराबाई बेवा स्व. श्री तेजाजी डांगी निवासी भल्लों का गुड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री रामा पिता श्री दूदा जी डांगी निवासी भल्लों का गुड़ा तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा दिनांक 12–06–2017 प्रकरण सं. 53/2017

प्रार्थना पत्र

———/———

उपस्थित :–1– श्री मन्नाराम डांगी अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री चुन्नीलाल डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट्स

——————/——————

निर्णय **दिनांक 16–07–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादीगण द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध एक आवेदन धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी वादी ने धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का एक वाद पेश कर रखा है, जिसमें प्रार्थी विपक्षी एवं अन्य सह–खातेदारान की प्रार्थना पत्र की कलम संख्या–2 वर्णित कूल आराजीयात किता–44 रकबा 3.85 हैक्टर भूमि स्थित है। इस भूमि के रामा 1/4, लच्छु खुशाली, धापू 1/4, सवा 1/8 मांगीलाल वगैराह 1/8 हिस्से के खातेदार है। पक्षकारान इस भूमि पर आपसी सहमति से बंटवारा कर काश्त कर रहे है। विवादित आराजीयात में से आराजी नंबर 3421 पर भी सभी काश्तकार अपनी रजामन्दी से बंटवारा कर उपयोग कर रहे है। इस आराजी का पड़ोस प्रार्थना पत्र की कलम संख्या–5 अनुसार है। नजरी नक्शा परिशिष्ठ **''अ''** में वर्णित है तथा वर्णनानुसार पक्षकारान उक्त भूमि पर काबिज है। नक्शे E से से प्रदर्शित हिस्से पर 1/4 हिस्सा विपक्षी रामा के कब्जे का है। इस भूमि पर पक्षकारान तद्नुसार काबिज है। नजरी नक्शे में अंकित E भाग रामा के उपयोग उपभोग में है, जो पूर्व की तरफ आम रास्ते से जुड़ा हुआ है, इसमें से होकर प्रार्थीगण अपने हिस्से D–2 में 40 वर्षो से आ–जा रह है तथा कृषि उपकरण भी इसी से लाते ले जाते है। D–2 भूमि में आने जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है। दिनांक 16–5–2017 को विपक्षी रामा ने प्रार्थीगण के हिस्से D–2 की पूर्वी मेढ़ पर कोट बनवाने के लिए पत्थर डाल दिये है तथा रास्ते की भूमि भी नहीं छोड़ रहा है। यदि बलपूर्वक हिस्से ई में D–2 की पूर्वी मेढ़ पर कोट बना दिया गया, तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, क्योंकि उसका रास्ता बन्द हो जायेगा। अतएव अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर कोई कोट आराजी नंबर 3421 रकबा .12 हैक्टर में नहीं बनाने का तथा बना लेने पर आदेशात्मक आज्ञा से हटाने का आदेश दिलवाया जाय।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दिनांक 25–5–2017 को पेश होने के बाद दिनांक 12–6–2017 के विपक्षी को नोटिस जारी किये तथा दिनांक 12–6–2017 को ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनने तथा अधिवक्ता विपक्षी की लिखित बहस जिसमें उसके द्वारा

कथन किया गया कि सिर्फ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद है। अन्य खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है। सह–खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। विधिवत विभाजन के बिना अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। मौके पर विपक्षी के हक आधिपत्य में चारो तरफ कोट बनी हुई है। प्रार्थी ने कभी रास्ते का उपयोग नहीं किया है। E भाग विपक्षी के कब्जे में है तथा B पर उसका पैतृक मकान बना हुआ है। C पर सवा जी डांगी का मकान बना हुआ है A भाग कूका जी के आधिपत्य में है। विधिवत बंटवारा किये बिना वाद चलने योग्य नहीं है। D–2 भाग से प्रार्थी का कोई संबंध नहीं है तथा मौके पर कोई आम रास्ता नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12–6–2017 को बहस व लिखित बहस पर मनन करने के बाद अपने निर्णय दिनांक 12–6–2017 से निम्नानुसार निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया :–

''उपरोक्त विवेचन से न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा वाद स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है जबकि वादग्रस्त भूमि में अन्य सह–खातेदार भी है। प्रार्थीगण को बंटवाड़े का वाद प्रस्तुत करना चाहिये था। विपक्षी द्वारा लिखित बहस में अंकित किया कि वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ठ ''अ'' में अंकित ई भाग विपक्षी के हक आधिपत्य में है तथा बी भाग पर पैतृक मकान बना हुआ है एवं सी भाग पर श्री सवा जी डांगी का मकान बना हुआ है एवं ए भाग पर श्री कुका के आधिपत्य में है। वादग्रस्त आराजीयात सह–खातेदारी की भूमि है। सह–खातेदारी भूमि में बिना विधिक रूप बंटवाड़ा कराये बगैर किसी भ्झी पिक्षकार को निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा केवल स्थाई निषेधाज्ञा का ही वाद प्रस्तुत किया है जबकि बंटवाड़े का भ्झी वाद प्रस्तुत करना चाहिये था। अतः वादग्रस्त भूमि सह–खातेदारी की होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया''।

अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय दिनांक 12–6–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20–7–2017 के पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट विपक्षी की और से अधिवक्ता श्री चुन्नीलाल डांगी ने उपस्थित दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, लिखित बहस अपीलान्ट की जानकारी के बिना नकल दिये बिना पेश की गई। प्रकरण में अपीलान्ट सह–खातेदार का अपने हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में रास्ते रूक जाने के कारण उसे अपूर्णीय क्षति होना स्पष्ट था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक तथ्यों का विवेचन किये बिना न्यायिक नजीरों को नजर–अन्दाज करते हुए निर्णय पारित किया गया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का यह आधार लिया है कि वाद बंटवाड़े का प्रस्तुत नहीं किया है सिर्फ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने के लिए वांछनीय प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्तों पर कोई विवेचन नहीं किया तथा पेश शुदा न्यायालय नजीरों का अवलोकन व परिशिलन नहीं किया।

प्रकरण में यह स्थिति सुस्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलान्ट एवं विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट सह–खातेदार है तथा सह–खातेदारान की भूमि की विधिक एवं सहमत स्थिति अनुसार हर सह–खातेदार का हर इन्च भूमि पर विधिवत विभाजन से पूर्व कब्जा माना जाता है। इस प्रकरण में एक सह–खातेदार प्रार्थी यह कहता है कि सह–खातेदारी की भूमि में जहां विपक्षी काबिज है,

उस भूमि में से होकर अपीलान्ट प्रार्थी की भूमि में रास्ता आता है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में यदि सिर्फ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी हो तो भी अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीरों 1, 2, 3 के आलोक में सह–खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। इस प्रकरण में विपक्षी रेस्पोन्डेन्ट सह–खातेदार द्वारा यदि सह–खातेदारों की भूमि की मौका स्थिति वाद दायरी के बाद बदली जाती है तो निसन्देह अपीलान्ट का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है तथा सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त अपीलान्ट के पक्ष में रहते है।

उपरोक्त विवेचन के दृष्टीगत अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12–6–2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट विपक्षी को सह–खातेदारी की विवादित आराजी नंबर 3421 रकबा .12 हैक्टर ग्राम भल्लों का गुड़ा की वाद दायरी दिनांक की मौका स्थिति यथावत रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक जारी की जाती है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16–07–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर